नियमित दीवानी वाद संख्या 39/2017 CIS No. 45/2017
शीर्षक– बनवारीलाल वगैरह विरुद्ध हीरालाल वगैरह

08.07.2025

वकुलाय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। आज इस आदेशिका के द्वारा प्रार्थी/वादी की ओर से दिनांक 07.04.2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 14(1) सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ही तर्क दिये गये कि पत्रावली साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर विचाराधीन है। वादी के द्वारा पूर्व में कुछ दस्तावेज पेश किये गये थे, लेकिन सहवन से कुछ दस्तावेज पेश करने से रह गये हैं। वाद के निस्तारण के लिए उनका रिकार्ड पर होना अत्यावश्यक है। दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपियाँ हैं, जिनके फर्जी बनाये जाने का भी कोई अंदेशा नहीं है एवं दस्तावेजात का विवरण पूर्व में वादपत्र के अभिवचनों में भी दिया जा चुका है। दस्तावेजात की सुसंगतता बयान करते हुए फहरिस्त दस्तावेज में अंकित अनुसार दस्तावेजात को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया किंतु, उत्तर बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष की ओर से तर्क पेश किया कि वादी द्वारा साक्ष्य का शपथपत्र पेश किया हुआ है, उक्त दस्तावेजात इस वादपत्र से सुसंगत नहीं हैं। निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

सुना गया। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी/प्रार्थी द्वारा अपने इस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात में से वादपत्र, फैसला, डिक्री से सम्बंधित तथ्यों का हवाला वादपत्र के पैरा संख्या 14 में दिया हुआ है और प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के पैरा संख्या 14 में वादपत्र के उक्त दस्तावेजात बाबत तथ्यों को स्वीकार किया है अर्थात उक्त दस्तावेजात बाबत प्रतिवादी की स्वीकृति आई हुई है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी की स्वीकृति होने से उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जहाँ तक प्रश्न दस्तावेजात सहमति पत्र, शपथ पत्र, बैंक खाता स्टेटमेंट और जमाबंदी का है तो इनके सम्बंध में अधिवक्ता वादी का यह तर्क रहा है कि विवाद्यक संख्या 3 व 4 से सम्बंधित होने से इस प्रकरण में उक्त दस्तावेजात सुसंगत हैं। दस्तावेजात के अवलोकन से अधिवक्ता वादी का यह तर्क प्रथम दृष्ट्या सद्भाविक प्रतीत होता है। चूंकि अभी वादपत्र प्रारम्भिक प्रक्रम पर है एवं वादी की ओर से साक्ष्य

का शपथपत्र ही पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात के रिकार्ड पर आने से प्रतिवादी के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

अतः तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी /वादी की ओर से दिनांक 07.04.2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 14(1) सिविल प्रक्रिया संहिता आंशिक रूप से दस्तावेजात सहमति पत्र, शपथ पत्र, बैंक खाता स्टेटमेंट और जमाबंदी की हद तक स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को बाद जाँच पत्रावली में रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 11.07.2025 को पेश हो।

(कमल लोहिया)